

4412

Frisk

IV IV - 11



N. 22/06 (12-6-06)

बिहार BIHAR नं० 4752 रज + 9/06 जोशी देवी पति बालगोविन्द A 54029  
 प्रसाद सा एकनाथ डीह टोला भातु बिगहा थाना एकनाथ सराय (नालन्दा)  
 नं० ड्राफ्ट 1000 + 177 = 1007

बिहार सरकार  
 अवर निबंधन कार्यालय, हिलसा

दिनांक 07/09/2006 को श्री/श्रीमती Jaso Devi  
 निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें र० 1007/- मुद्रांक शुल्क एवं र० 2245/-  
 अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने  
 सिम्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान  
 पीछे अंकित है। इसे दस्तावेज सं० 11 के रूप में पुस्तक सं० 4  
 CD में आज निबंधित एवं कुल 10+ पृष्ठों में संधारित किया गया।

Vol. II (1-11)

Date : 07/09/2006

ह०  
 (Prasant Kumar)  
 निबंधन पदाधिकारी

यह दस्तावेज  
 निबंधन हेतु  
 प्रसाद सा  
 एकनाथ डीह  
 टोला भातु  
 बिगहा थाना  
 एकनाथ सराय  
 (नालन्दा)  
 नं० ड्राफ्ट  
 1000 + 177 = 1007  
 के रूप में पुस्तक सं० 4  
 में संधारित किया गया।

सिम्पादक का नाम :- जोशी देवी जोसे श्री बालगोविन्द प्रसाद साकिन-  
 एकनाथ डीह, टोला- भातु बिगहा, पो० वी थाना-  
 एकनाथ सराय, जिला- नालन्दा।



1R9

नं० 4753

ता 7<sup>9</sup>/<sub>66</sub> वसंत

महर्षी नारायण वर्मा, सचिव  
 विभागा सचिव, हा. (नालन्दा)  
 ता 10-6/92

सदस्यी का नाम :-

1. हारीका प्रसाद चक्रवर्ती वल्द स्व० वावुलाल प्रसाद साकिन-  
 स्कंरहीह टोला- भातु बिगहा, पो०- वो थाना- स्कंर सराय  
 जिला- नालन्दा, पेशा- किसान, पद- अध्यक्ष ।
2. अश्विन्द प्रसाद वल्द श्रीवातशोविन्द प्रसाद साकिन- स्कंर  
 हीह टोला- भातु बिगहा, पो० वो थाना- स्कंर सराय,  
 जिला- नालन्दा, पेशा- किसान, पद- सचिव ।
3. लाला महेषवरी प्रसाद वल्द स्व० शिखर प्रसाद साकिनको पो०  
 वो थाना- स्कंर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- सरकारी/  
 सरकारी, व्यवसाय, पद- कोषाध्यक्ष ।
4. लमार्त कुमार वल्द राजेन्द्र प्रसाद साकिन- मिलकीपर, पो०  
 वो थाना- स्कंर सराय, जिला- नालन्दा, पेशा- किसान,  
 पद- सदस्य ।
5. दौलती देवी जौजे श्री सच्चिदानन्द प्रसाद साकिन- बाहापर,  
 पो०- कराय परशुराय, थाना- कराय वरकुराय, जिला-  
 जिला- नालन्दा, पेशा- गृहीणी, पद- सदस्य ।

जारी देवी - 9/10 - Bhangun

प्रसाद साकिन  
 स्कंर सराय  
 नालन्दा  
 10/6/92

प्रसाद साकिन  
 स्कंर सराय  
 नालन्दा  
 10/6/92





क्र. 4754

दि 7<sup>9</sup> 06 वर्ष 2006

रामचन्द्र राम

3. कार्यक्षेत्र :- इस ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र बिहार होगा। ज्योती एजुकेशनल ट्रस्ट का स्मृती - पत्र।

4. ट्रस्ट का नाम एवं सम्पति मूल्य :- 50,000 रुपया पचास हजार रुपये मात्र। ज्योती एजुकेशनल ट्रस्ट।

5. ट्रस्टी का स्थान :- मौजा स्कंजर डीह, टोला- भातु बिगहा, पो थाना नं० 120, अंचल - स्कंजर सराय, नालन्दा, तब रीजिस्ट्री कस्बा हिलंसा, सदर रीजिस्ट्री पो जिला नालन्दा।

6. उद्देश्य :- इस ट्रस्ट का निम्नीलिखित उद्देश्य होगा :-

- क) शिक्षण ट्रस्ट की स्थापना कर बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक कर शिक्षा उपलब्ध कराना।
- ख) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों को कम्प्यूटर एवं अन्य तकनीकी प्रशिक्षण देना।
- ग) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से बच्चों एवं अन्य लोगों को समाज के सर्वांगीण विकास हेतु पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा उपलब्ध कराना।
- घ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से विकलांग, अनाथ एवं गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा एवं पुस्तकें उपलब्ध कराना।
- ङ) शिक्षण ट्रस्ट के माध्यम से मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद करना एवं चिकित्सालय।

7. ज्योती एजुकेशनल ट्रस्ट की नियमावली :-

श्री. डी.के. मन्ना  
 श्री. रामचन्द्र राम  
 श्री. रामचन्द्र राम  
 श्री. रामचन्द्र राम



नं० ५७५५

ता ७<sup>९</sup>/<sub>०६</sub> १९५०

राजेश्वर राम

1. सदस्यता :-

कोई भी स्त्री-पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या अधिक की होगी तथा ट्रस्ट के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हो वे इस ट्रस्ट का सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हेतु जो विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य को 100 रुपया प्रवेश शुल्क 100 रुपया मासिक शुल्क देना होगा।

2. सदस्यता से समाप्ति :-

निम्न कारणों से सदस्यता समाप्त किया जा सकता है:-

1. स्वयं त्याग पत्र देने पर।
2. पागल या मृत्यु होने पर।
3. समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
4. न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
5. लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर।
6. लगातार तीन बैठकों में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर।

3. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कार्य :-

सदस्य :-

राजेश्वर राम  
नं० ५७५५  
ता ७<sup>९</sup>/<sub>०६</sub> १९५०

2



क्र 4756

ता 7<sup>0</sup>/<sub>08</sub> 1992

सचिव

2. कार्यवाही पंजी में अपना हस्ताक्षर करना ।
3. किसी विषय में समान मत होने पर अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
4. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

विधेय:-

1. ट्रस्ट के प्रत्येक बैंक का आयोजन करना ।
2. ट्रस्ट की ओर से सभी प्रेप्रकार का पत्राचार करना ।
3. निधि का अवेक्षण कराना एवं आय- व्यय लेखा बैंक में प्रस्तुत करना ।
4. कार्यकारिणी समिति के राय से कार्यकारी की नियुक्ति एवं क्वांस्टिगी के आदेश पारित करना ।
5. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

विधेय:-

1. आय- व्यय का लेखा रखना ।
2. प्रवेश बुक, सदस्यता बुक, दान, चन्दा प्राप्त कर रसीद देना ।
3. ट्रस्ट के कोष को किसी बैंक या डाकघर में जमा करना ।
4. आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/-रुपया तक रकम है तथा विशेष सर्व के लिए समिति से प्राप्त कराकर कार्य करना ।

कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

1. ट्रस्ट फंड एवं अफिल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होना ।
2. ट्रस्ट के सभी कार्यों का सम्पादन विधिमत करना एवं प्रस्ताव पारित

7/9/06

सचिव श्री. Pankaj Singh

Handwritten notes on the right side of the page, including a signature and some illegible text.





क्र. 4757

ता 7 9/06 1952

Handwritten signature and date: 6/32

- आसम अभ्यास का निर्माण करना ।
- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

प्रस्तावित बैठक :-

आसम विभागीय सदस्यों के लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक का आयोजन करना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि में बैठक को आयोजित नहीं करते है तो आयेदक होगा । आयेदक में लिखित विचारों के लिए बैठक का आयोजन कर सकता है ।

विचार :-

- 1. कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में दो बार होगी ।
- 2. आम सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रैल में होगी ।
- 3. आम सभा एवं कार्यकारिणी समिति की विशेष कमी भी बुलाई जा सकती है ।

अपूर्ति :-

प्रत्येक बैठक का अपूर्ति उसके कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा ।

बैठक की सूचना :-

- 1. आम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- 2. आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- 3. कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व दी जायेगी ।
- 4. कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 04 दिन पूर्व दी



Handwritten notes in Hindi: 'की गला बूजा नलीका ईष्ट', 'लिखा जो सही है', 'मजबूत पं. 6/32/1952', 'दि. 6-3-52'.



1Re

क्रा 4758

रु 7  $\frac{9}{100}$  मात्र

महाराष्ट्र  
मुंबई  
०६/०६/५३

5. बैंक की सूचना पंजी में हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जायेगी ।

6. धन का स्रोत :-

1. प्रवेश शुल्क एवं सदस्यता शुल्क ।
2. सरकारी एवं गैरसरकारी दान, अनुदान, सहायता ।
3. निरक्षर ट्रस्ट को वचनो द्वारा दिया गया शुल्क ।

7. धन का संचालन :-

ट्रस्ट के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर से जमा किया जायेगा, जिनकी निवासी सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

8. निधि का अक्षेप :-

ट्रस्ट का आय- व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जायेगा तथा आम सभा के द्वारा नियुक्त अक्षेप से प्रतिवर्ष अक्षेप कराया जायेगा ।

9. धन की निरीक्षण :-

ट्रस्ट की सभी पंजीयों निबंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से पंजी का निरीक्षण कर सकता है ।

10. निधमाली में संशोधन :-

निधमाली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम सभा के 3/5





1Re

नं 4759

दि 7<sup>9</sup>/<sub>06</sub> 1982

सं. नं. 0/92

कानूनी कार्यवाही एवं विप्लव :-

- 1. ट्रस्ट पर या ट्रस्ट के द्वारा कानूनी कार्यवाही सचिव के पद नाम से होगा तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की स्ताह से की जायेगी ।
- 2. ट्रस्ट का विप्लव ट्रस्ट अधिनियम 1860 के धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त के बाद ही किया जायेगा ।
- 3. आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जा सकता है ।
- 4. विप्लवोपरान्त जो चल या अपल सम्पति बचेगा वह किसी सदस्य या गैरसदस्य में नहीं बाटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समाप्त उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

आम सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1. कार्यकारिणी समिति का चुनाव करना ।
- 2. अधिवक्ता का नियुक्ति कराना ।
- 3. आय- व्यय लेखा पर विचार रखना एवं पारित करना ।
- 4. उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

पारित करिके द्वारा श्रीपट्ट कमार कानून मंत्री  
 109/2002 मन्वुन मनमोहिन खंडु पटकर को  
 वाह से पटवाकर समुत्थिया को मनमोहिन के वरि हॉथ  
 । पाँचो अंगुलीयों के निधान मेरे द्वारा लिये गये है ।  
 कथकर्ता - विजय कुमार , विप्लव कोर्ट विद्यालय, नालन्दा





### Endorsement of Certificate of Admissibility (Rule - 35)

Admissible under Rule 21 : duly stamped ( or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. 64a  
Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

(11)

Stamp duty paid under Indian Stamp Act Rs. 1007

#### Fee Paid

A1	2000	K1c	0	Liii	0	Tot Reg Fee	2245
J1	0	K2	0	Na	45		
K1a	0	Li	0	Scan	200		
K1b	0	Lii	0				

Date : 7.5.06

Registering Officer

### Endorsement under section 52

Presented for registration at \_\_\_\_\_ on the day \_\_\_\_\_ at the  
Hilsa D. R. O/ Sub\_Registry Office by **Jaso Devi**  
son/wife of **W/O Shri Balgobind Pd.** by profession **House Wife**  
(Executant or attorney for \_\_\_\_\_, one of the executants or claimants under  
a power no. \_\_\_\_\_ for 20 \_\_\_\_\_ authenticated by sub-registrar of  
\_\_\_\_\_)

Signature of Presentant

जसो देवी  
7/9/06

### Endorsement under section 58

Execution is admitted by persons and identified by others whose names, photographs, fingerprints and signatures are affixed on the reverse pages of the instrument.

Date : 7.9.06

Registering Officer

### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered in Book 1 of DSRO/ SRO Hilsa having 10 pages in the volume CD-2  
and document no. of which is printed on the first page of the document.

Date : 7.9.06

Registering Officer